भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 23

दिनांक 17.07.2017 को उत्तर दिए जाने के लिए

ग्रामीण जल आपूर्ति के प्रावधान हेतु मानक

23. श्री राम कुमार कश्यपः

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मूलभूत न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर पानी पीने, खाना पकाने, नहाने, बर्तन धोने आर प्रक्षालन की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 40 लीटर (एल पी सी डी) पेयजल आपूर्ति हेतु न्यूनतम मानक तय किए हैं;
(ख) क्या यह सच है कि 3,21,098 ग्रामीण निवास स्थानों को विहित 40 एल पी सी डी सुरक्षित पेयजल नहीं मिल रहा है; और
(ग) यदि हां, तो 3,21,098 ग्रामीण निवास स्थानों को समयबद्ध रूप से विहित 40 एल पी सी डी सुरक्षित पेयजल प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) जी हाँ।

(ख) राज्यों द्वारा मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पर दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 01.04.2017 तक 400,742 ग्रामीण बसावटों को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 40 लीटर की दर से स्वच्छ पेयजल प्राप्त नहीं हो रहा है।

(ग) पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। मंत्रालय केन्द्रीय रूप से प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण आबादी तक स्वच्छ पेयजल के कवरेज में सुधार करने हेतु राज्यों को सहायता उपलब्ध कराता है। राज्यों को न्यूनतम 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से कवरेज उपलब्ध कराने हेतु इस मंत्रालय से सहायता लेकर अथवा अपनी राज्य योजना से निधियों के निवेश द्वारा या फिर बाह्य एजेन्सियों/ऋणदाता संस्थाओं से सहायता लेकर प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है।